

प्ररूप 21ग

(नियम 04 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(043) चोमू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 04 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री रामलाल शर्मा

मु. पो. ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान :- जयपुर

तारीख :- 11.12.2018



(गुणेश कुमार) 11/12/18
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र चोमू (043)
एच एस डी एम चोमू (जयपुर)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from CHOMU (043) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI RAMLAL SHARMA

MU. PO. GRAM BEHARIPURA, TEHSIL AMER DIST. JAIPUR, sponsored by
BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in the House from the
above constituency.

Place : Jaipur

Date : 11.12.2018



(Signature)
(मुकेश कुमार शर्मा)
Returning Officer
जायपुर जिला
जनसभा क्षेत्र चौमू (043)
एन एस.डी.एम. चौमू (जयपुर)